मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 9-10/2013/नियम/चार भोपाल, दिनांक 23 मार्च, 2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय- नवीन अंशदायी पेंशन योजना में हुये कटोत्रे को सामान्य भविष्य निधि (जी. पी. एफ.) में समायोजित करने बावत् ।

—••—

1-1-2005 से पूर्व नियुक्त कतिपय शासकीय सेवकों की दिनांक 1-1-2005 के पश्चात राज्य शासन की अन्य सेवाओं में नियुक्ति के परिणामस्वरूप तत्सयम नवीन पेंशन योजना के अभिदाता के रूप में अंशदान की कटौती कर ली गई थी । ऐसे अभिदाताओं की नवीन पेंशन योजना में जमा राशि को सामान्य भविष्य निधि में स्थानान्तरित किये जाने की प्रक्रिया निर्धारित न होने से यह राशि संबंधित अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि खाते में स्थानान्तरित नहीं हो सकी है ।

2/ अतः राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि जिन अभिदाताओं का अंशदान कटौत्रा लेखा शीर्ष 8011-106 (0004) या अन्य लेखा शीर्ष (तत्समय) में जमा है, को मुख्य शीर्ष 8009-सामान्य भविष्य निधि, उपमुख्य शीर्ष 01-सिविल, लघु शीर्ष 101-सामान्य भविष्य निधि में हस्तांतरण हेतु जिला/नगर कोषालय अधिकारी के माध्यम से महालेखाकार, ग्वालियर म.प्र. को ट्रांसफर एन्ट्री के लिए त्रुटिसुधार पत्रक भेजकर कटौत्रा राशि का समायोजन अधिकारी/कर्मचारी के जी. पी. एफ. खाते में किया जाये।

3/ इसी प्रकार अंशदान के द्वितीय भाग अर्थात नियोक्ता का अंशदान (यदि काटा गया है तो) को लेखा शीर्ष 8011-106(0004) या अन्य लेखा शीर्ष (तत्समय प्रचलित) से 0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, उपमुख्य शीर्ष 60- अन्य सेवाएं, लघु शीर्ष 800- अन्य प्राप्तियां में जिला/नगर कोषालय अधिकारी के माध्यम से महालेखाकार ग्वालियर म.प्र. को त्रुटि सुधार पत्रक भेजकर ट्रांसफर एन्ट्री द्वारा समायोजित किया जाये ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनीष रस्तोगी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

SUNITA/Pripuna 2015

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 9-10/2013/नियम/चार भोपाल, दिनांक 23 मार्च, 2015

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, एवं लेखा, मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा, म.प्र. किसान भवन, भोपाल
26. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
27. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(अजय चौबे)
उप सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग

Sunita/2014
http://Www. Finance.mp.gov.in